

महोदय / महोदया,

माननीय न्यायालय की तरफ से मेरे उक्त आवेदनपत्र पर अंकित की गयी दोनों आपत्तियों के संबंध में मेरा निम्न निवेदन है:-

01. यह कि मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 21-06-2006 को पदस्थापित हुआ था तब से लेकर मैं प्रश्नगत सम्बिहार तिथि 12-11-2020 से पूर्व तक का स्वयं द्वारा किये गये चल सम्पत्ति के सम्बिहार को माननीय न्यायालय द्वारा अपेक्षित सी0एल0सं0-25 / एडमिन (ए)1 दिनांकित 13-07-1998 के बिन्दु -3 के अनुसरण में निम्नवत प्रदर्शित कर रहा हूं जिनको मैंने माननीय उच्च न्यायालय को भी पूर्व से ही सूचित कर रखा है:-

A. मैंने दिनांक 15-07-2007 को बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के रूप में कार्यरत रहते हुए एक मारुति कार अल्टो सं0 एल0एक्स-यू०पी०-31 एम 3344 भारतीय स्टेट बैंक, शाखा लखीमपुर से मु0 1,50,000/-रूपये दिनांक 07-07-2007 को ऋण लेकर क्य किया था, जिसका क्य मूल्य मु0 2,63,410/-रूपये था, जिसमें से मु0 1,13,410/-रूपये मैंने अपने शाखा लखीमपुर खीरी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के वेतन बचत खाता सं0- 11106409445 से आहरित करके मार्जिन मनी के रूप में अदा किया था, जिसकी विधिवत सूचना मैंने दिनांक 20-08-2007 को विहित प्रारूप पर माननीय उच्च न्यायालय को पूर्व से ही प्रेषित कर रखी है।

B. मेरे द्वारा अपनी पत्नी हेतु विविध स्वर्णभूषण दिनांक 21-10-2015 को चेतमणि अर्नामेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ज्वैलर्स, मुगलसराय, चंदौली वजन 83.090 ग्राम सोने के विविध स्वर्णभूषण कुल 90,940/-रूपये के क्य किये गये थे, जिसका भुगतान मैंने अपने वेतन बचत खाता संख्या-11106409445 व पंजाब नेशनल बैंक बचत खाता सं0-3671000101047754 के माध्यम से जरिये ए0टी०एम०/डेविड कार्ड किया था, जिसकी सेल इनवाईस संबंधित ज्वैलर्स ने एम०जी 1694 दिनांकित 21-10-2015 के माध्यम से मुझे प्रदान की थी जिसकी लिखित सूचना मेरे द्वारा मेरे चंदौली में सिविल जज0 सी0डिं० में कार्यरत रहते हुए जनपद न्यायाधीश चंदौली के पत्रांक सं0-188/XV दिनांकित 03-03-2016 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को पूर्व से ही प्रेषित कर रखी है।

C. मेरे द्वारा दिनांक 03-02-2016 को अपने घरेलू उपयोग हेतु शुद्ध

पेय जल की पूर्ति हेतु एक आरोओ० प्लूरीफाई एक्वागार्ड कम्पनी का मु0 17,200/-रुपये में स्वागत स्टोर, जी०टी० रोड, मुगलसराय, चंदौली से वेतन बचत खाता सं०-11106409445 के चेक क्रमांक सं०-649114 से भुगतान करके क्रय किया था जिसकी सेल इनवाईस 299 दिनांकित 03-02-2016 प्रदान की गयी थी, जिसकी सूचना मैंने अपने सिविल जज० सी०डि० चंदौली के रूप में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 03-03-2016 को जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्रांक सं०-187/XV दिनांकित 03-03-2016 के माध्यम से पूर्व से ही प्रेषित कर रखी है।

D. मेरे द्वारा अपने व्यक्तिगत आवासीय उपयोग हेतु एक सोफा सेट मय सेन्टर टेबिल दिनांक 17-05-2016 को आर्ट एण्ड डिकोर, वाराणसी से क्रय किया था जिसका भुगतान मैंने अपने वेतन बचत खाता संख्या-11106409445 के माध्यम से जरिये **Neft** प्रक्रिया के अंतर्गत किया था। उक्त सम्ब्यवहार की सूचना मैंने अपने जनपद चंदौली में सिविल जज० सी०डि०/एफ०टी०सी० के रूप में कार्यरत रहने के दौरान दिनांक 28-05-2016 को जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्रांक सं०-438/XV दिनांकित 30-05-2016 के माध्यम से पूर्व से ही माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रखी है।

E. यह कि माह सितम्बर-2016 में गुजरात/ महाराष्ट्र के अवकाश यात्रा सुविधा (एल०टी०सी०) पर सपरिवार यात्रा के दौरान मुम्बई प्रवास के दौरान भाइन्दंर वेस्ट, जिला ठाणे, महाराष्ट्र से दिनांक 25-09-2016 को मु0 26,900/-रुपये में एक स्मार्ट मोबाइल सैमसंग ग्लैक्सी ए-7 क्रय किया गया था, जिसका भुगतान मैंने अपने चंदौली स्थित वेतन बचत खाता सं०- 11106409445 एस०बी०आई के माध्यम से जरिये डेविड कार्ड किया था। उक्त सम्ब्यवहार की सूचना मैंने माननीय न्यायालय को जनपद चंदौली में सिविल जज० सी०डि० रहने के दौरान जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्रांक सं०-790/XV दिनांकित 07-10-2016 के माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित कर रखी है।

F. मेरे द्वारा अपनी पत्नी हेतु दिनांक 08-07-2017 को रतनदीप गोल्ड एण्ड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड, रतनदीप काम्पलेक्स, जी०टी० रोड मुगलसराय, चंदौली से कुल 68,045/-रुपये वजन 21.030 ग्राम के स्वर्णभूषण क्रय किये थे जिसका भुगतान मैंने अपने वेतन बचत खाता सं०-11106409445 के डेविड कार्ड के माध्यम से किया था, जिसकी सूचना

मैंने सिविल जज, सी0डिं0/एफ0टी0सी, जनपद चंदौली में कार्यरत रहते हुए दिनांक 11-07-2017 को जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्रांक सं0-608/XV दिनांकित 11-07-2017 के माध्यम से माननीय न्यायालय को पूर्व से ही प्रेषित कर रखी है।

G. यह कि मैंने दिनांक 28-07-2017 को स्वयं के उपभोग हेतु एक कार मारुति बलेनो अल्फा नं0-U.P. 85 B B1212 पेट्रोल कुल मूल्य मु0 8,10,039/-रूपये में उमा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड महौली एन एच-2 मथुरा उत्तर प्रदेश से क्य की थी, जिसका भुगतान मैंने अपनी सेवा से प्राप्त संचित वेतन से निम्नवत किया था:- मैंने मु0 4,00,000/-रूपये की एक सावधि जमा सं0- 32946622431 दिनांकित 17-04-2013 स्वयं के नाम की जो कि मुझे जनपद गोरखपुर में कार्यरत रहते हुए छठवें वेतन आयोग के ऐरियर के फलस्वरूप प्राप्त वेतन धनराशि से प्राप्त हुआ था। यह सावधि/एफ0डी0 बिल सेक्षन/ अधिष्ठान अनुभाग, गोरखपुर द्वारा ही मुझे बनाकर प्रदान की गयी थी तथा जो परिपक्व होकर दिनांक 17-04-2017 को अपने वेतन बचत खाता सं0-11106409445 स्टेट बैंक आफ इंडिया, चंदौली में मु0 5,40,363/-रूपये के रूप में भुगतान होकर प्राप्त हुयी थी। उक्त एफ0डी0आर0 का उल्लेख मैंने वित्तीय वर्ष-2013-14 के अपने सम्पत्ति के विवरण पत्र में माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रखा है। शेष धनराशि मैंने अपने वेतन से प्राप्त धनराशि को यू0टी0आई0 के म्युच्युल फंड में निवेशित करने के फलस्वरूप उसमें से मु0 8,54,556/-रूपये विड़ा/वापसी के फलस्वरूप अपने वेतन बचत खाता सं0-11106409445 में प्राप्त हुआ। जिसका विवरण मैंने अपनी सम्पत्ति के विवरण पत्र वित्तीय वर्ष-2013-14 व 2014-15 में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर रखा है। मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त कार क्य की सूचना जनपद चंदौली में सिविल जज सी0डिं0/एफ0टी0सी0 के रूप में कार्यरत रहते हुए जनपद न्यायाधीश, चंदौली के पत्रांक सं0-831/XV दिनांकित 23-09-2017 के माध्यम से माननीय न्यायालय को प्रेषित कर रखा है। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा अनुपूरक जवाब माननीय जनपद न्यायाधीश, लखनऊ के पत्रांक सं0-1246/XV आर.एफ दिनांकित 05-04-2019 के माध्यम से माननीय न्यायालय को सुसंगत दस्तावेजों के साथ प्रेषित कर रखा है।

यह कि वर्तमान में दिनांक 10-03-2021 को मेरे द्वारा सपरिवार गृह जनपद मथुरा जाते वक्त आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे

कन्नौज तिर्वा के समीप डिवाईडर से टकरा जाने के फलस्वरूप दुर्घटनाग्रस्त होकर पूर्ण रूपेण विनिष्ट हो चुकी है तथा बीमा कम्पनी के साथ हुये अनुबन्ध में बीमा कम्पनी उक्त कार को टोटल लॉस में मानकर स्कैप के रूप में बेचा जाना सुनिश्चित पाया गया है। उक्त कार का उपभेग वर्तमान में आवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है।

02. **द्वितीय आपत्ति** इस विषय से सम्बन्धित है कि मैं अपने वेतन बचत खाते की पासबुक की करीब विगत 6 माह की प्रविष्टियां प्रमाणित रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर स्पष्ट करूँ कि मैंने विगत 6 माह में कोई आभूषण/ज्वैलरी खरीदी है या नहीं तथा अपनी आय के स्त्रोत उस स्थिति में स्पष्ट करूँ, जबकि खाते की वह प्रविष्टि/जमा मेरे एक माह के वेतन से अधिक हो।

इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को अवगत कराना है कि मैंने प्रश्नगत ज्वैलरी दिनांक 12–11–2020 को क्य की थी, उस समय मेरा सकल वेतन मु0 1,63,189/-रूपये था तथा दिनांक 12–11–2020 से अंतिम 6 माह की गणना करते हुए मैंने दिनांक 02–05–2020 तक को वेतन बचत खाता विवरण निकालवाकर बैंक से प्रमाणित कराते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त दिनांक 12–11–2020 से पहले 6 माह के दौरान यानि कि दिनांक 02–05–2020 तक मैंने कोई भी आभूषण/ज्वैलरी अपने या अपनी पत्नी के लिए किसी भी रूप में क्य नहीं की है तथा मेरा मूल वेतन मु0 54,010/-रूपये था। मेरे मूल वेतन से अधिक खाते की जमा प्रविष्टियों के बारे में मेरा निम्नवत स्पष्टीकरण है:—

A. यह प्रविष्टि दिनांकित 03–05–2020 की है। मु0 1,08,204/-रूपये वह धनराशि है जो कि मुझे अपने बचत खाते में संचालित एम0ओ0डी0 सुविधा यानि कि एक निश्चित सीमा के उपरान्त खाते में धनराशि होने पर स्वतः बैंक द्वारा एक वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि की सावधि जमा/एफ0डी0 बनाने से सम्बन्धित है। मैंने अपने उक्त वेतन बचत खाते में एक लाख रूपये की सीमा निर्धारित की है तथा जैसे ही मेरे उक्त खाते में एक लाख रूपये से ऊपर होता है, तो बैंक उसको स्वतः एक वर्ष की एफ0डी0 में निर्मित कर देती है। जब मुझे अतिरिक्त रूपयों की आवश्यकता होती है तो बैंक में बनी हुयी कोई पूर्व एफ0डी0 स्वतः टूटकर खाते में जमा यानि कि क्रेडिट हो जाती है।

अतः यह प्रविष्टि दिनांक 03–05–2020 इसी वापस धनराशि से सम्बन्धित है, जिसके अनुसार मेरा उक्त शाखा में निर्मित हुआ एफ0 डी0

नं0—393639306165628 एस0डी0टी/एफ0डी0 जिसकी परिपक्वता दिनांक 07—05—2021 थी, वह परिपक्वता तिथि से पूर्व ही टूटकर मु0 1,08,204/-रूपये की धनराशि के रूप में मेरे खाते में जमा हुआ।

B. जमा प्रविष्टि दिनांकित 02—06—2020 मेरा माह मई—2020 मु0 1,21,667/-रूपये एवं जमा प्रविष्टि दिनांकित 04—07—2020 वेतन माह जून—2020 की कटौतियों के पश्चात मु0 1,21,667/-रूपये नेट वेतन है।

C. प्रविष्टि दिनांकित 13—07—2020 मु0 1,92,196.83/-रूपये वह धनराशि है जो मुझे भूतकाल में वेतन से प्राप्त संचयन से पूर्व में यू0टी0आई0 म्युचुल फण्ड में निवेश किये गये धन के भुगतान के रूप में यू0टी0आई0/एम0एफ0 से जरिये **Neft** मेरे खाते में जमा/प्राप्त हुआ।

D. प्रविष्टि दिनांकित 15—07—2020 मु0 1,10,628.37/-रूपये भी मेरे संचित वेतन धनराशि को यू0टी0आई0 में निवेशित किये जाने के फलस्वरूप यू0टी0आई0/एम0एफ से प्राप्त भुगतान है।

E. प्रविष्टि दिनांकित 29—07—2020 मु0 1,96,594/-रूपये की वह धनराशि है जो मुझे पूर्व में जनपद चंदौली की नियुक्ति के दौरान मेरे द्वारा अपने एक मात्र पुत्र समर्थ चतुर्वेदी के नाम से भारतीय जीवन बीमा की जीवन तरुण पालिसी संख्या— 245781312 मु0 20,00,000/-रूपये दिनांकित 23—12—2016 लिये जाने के फलस्वरूप मेरे द्वारा उक्त धनराशि वर्तमान में निवेश व औचित्य की दृष्टि से निरर्थक पाते हुए बीच में ही तोड़ दी गयी, यानि कि जुलाई—2020 में सरेण्डर कर दी। उक्त एल0 आई0 सी0 के तोड़ने के फलस्वरूप मुझे एल0आई0सी0 की तरफ से अब तक जमा धनराशि खाते में वापस प्राप्त करायी गयी थी। अतः यह मेरे पुत्र के नाम जमा एल0आई0सी0 के परिपक्वता से पहले टूटने के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि है।

F. जमा प्रविष्टि दिनांक 01—08—2020 मेरा माह जुलाई—2020 का कटौतियों के पश्चात प्राप्त मु0 1,21,667/-रूपये वेतन है।

G. जमा प्रविष्टि दिनांकित 07—08—2020 मु0 1,53,961/-रूपये बिन्दु—ए की तरह सूर्जित एक वर्षीय स्वतः एफ0डी0आर0 को परिपक्वता से पूर्व टूट जाने पर प्राप्त जमा धनराशि है।

H. जमा प्रविष्टि दिनांकित 07—08—2020 मु0 3,86,558/-रूपये भी उपरोक्त की तरह बैंक द्वारा स्वयं सूर्जित एफ0डी0आर0 नं0—39506245621 परिपक्वता तिथि 16—07—2021 एक वर्षीय अवधि से पूर्व ही टूटने के

फलस्वरूप जमा धनराशि है।

I. जमा प्रविष्टि दिनांकित 01–09–2020 मेरा माह अगस्त–2020 का कटौती के पश्चात प्राप्त नकद वेतन है।

J. जमा प्रविष्टि दिनांकित 01–10–2020 भी मेरा माह सितम्बर–2020 कटौतियों के पश्चात मेरा प्राप्त नकद वेतन है।

K. जमा प्रविष्टि दिनांकित 15–10–2020 मु0 3,65,535.26/-रूपये वह धनराशि है जो मुझे मेरे द्वारा पूर्व में अपने संचित वेतन से यू0टी0आई0 म्युचुल फंड में किये गये निवेश के फलस्वरूप यू0टी0आई0 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि है।

L. जमा प्रविष्टि दिनांकित 16–10–2020 मु0 6,78,000/-रूपये वह धनराशि है जो बिन्दु–ए के अनुसार मुझे एस0बी0आई0 में स्वतः सृजित एफ0डी0आर0 सं0–39735876224 परिपक्वता तिथि 15–10–2021 के पूर्व ही टूटने के पश्चात् खाते में जमा हुई है।

M. जमा प्रविष्टि दिनांकित 02–11–2020 मेरा माह अक्टूबर–2020 का कटौती उपरांत प्राप्त वेतन है।

इस प्रकार उक्त विवरण सादर अवलोकनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सादर

(आदित्य चतुर्वेदी)

संलग्नक:—

01. प्रश्नगत तिथि 12–11–2020 से तुरन्त पूर्व 04–11–2020 से लेकर दिनांक 02–05–2020 तक, यानि कि 6 माह का बैंक द्वारा निर्गत वेतन बचत खाता सं0–11106409445, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, मुख्य शाखा हजरतगंज, लखनऊ ब्रान्च कोड–125 के खाते का बैंक द्वारा प्रमाणित व मुद्राकिंत किया गया विवरणपत्र।
02. एस0 बी0 आई लखनऊ में संचालित बचत खाता सं0 – 11106409445 में एम0ओ0डी0 सुविधा के तहत स्वतः सृजित होने वाली पूर्व वित्तीय वर्ष की टी0आर0डी0/एस0टी0डी0आर, यानि कि सावधि मियांद जमा का सम्पूर्ण विवरण।
03. पुत्र समर्थ चतुर्वेदी के नाम ली गयी एल0आई0सी0 की जीवन तरूण पालिसी की छायाप्रति।
04. वित्तीय वर्ष–2013–14 व वर्ष–2014–15 की सम्पत्ति के विवरणपत्र की छायाप्रति।